दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 24 सितंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 355

महत्वपूर्ण एवं खास

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हड़ताल पर केरल हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

कोच्चि (केरल) (आरएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने इस्लामी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा राज्यभर में आहूत की गई हड़ताल तथा राज्य में हुई छिटपुट हिंसा की घटनाओं का शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि हड़ताल पर उसने पहले ही रोक लगा रखी है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने राज्य प्रशासन को उसके हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने सरकार से हिंसा रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को भी कहा। पीएफआई द्वारा शुक्रवार को केरल में आहूत दिनभर की हड़ताल के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाओं की सूचना मिली है। देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा अन्य एजेंसियों द्वारा पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई ने हड़ताल का आह्वान किया था।

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में आग

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तरी दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र के एक कारखाने में शुक्रवार को सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर दमकल की 10 गाडिय़ों को भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एमएससी मॉल के निकट नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना सुबह आठ बजकर 35 मिनट पर मिली। नरेला क्षेत्र में बृहस्पतिवार को भी जूते बनाने के एक कारखाने में आग लग गई थी।

अस्वस्थ बिहार के राज्यपाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली लाया गया

पटना (आरएनएस)। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को शुक्रवार सुबह इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। एक विशेष एयर एम्बुलेंस उन्हें दिल्ली ले आई और उन्हें जल्द ही एम्स में भर्ती कराया जाएगा। चौहान को इससे पहले गुरुवार रात बेहोश होने के बाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईजीआईएमएस) में भर्ती कराया गया था। राज्यपाल पिछले एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे और कथित तौर पर उन्हें पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार था। इससे पहले आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉ मनीष मंडल ने कहा था, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान आईजीआईएमएस के एक निजी वार्ड में भर्ती थे। वह डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में थे। डॉक्टरों ने उनके यूरीन सैंपल में संक्रमण का पता लगाया है और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते थे आतंकवादी- कर्नाटक पुलिस

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक में गिरफ्तार आईएस के दो संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में पता चला है कि, वो शरिया कानून के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने में मदद करना चाहते थे। कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, मुख्य आरोपी शारिक, जो फरार है और गिरफ्तार दो आरोपियों माज मुनीर और सैयद यासीन उर्फ यासीन उर्फ बैलू कर्नाटक के शिवमोग्गा के रहने वाले हैं। वों मानते थे कि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली है, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलेगी जब शरिया कानून देश में लागू होगा। पुलिस ने कहा, आईएस इस दिशा में काम कर रहा है और जिहाद के जरिए काफिरों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इसी तरह गिरफ्तार किए गए आरोपी भी भारत के खिलाफ युद्ध छेडऩे का इरादा रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने विस्फोटक इक_ा किया था। कथित आतंकवादियों ने टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया और आईएस के आधिकारिक माध्यम 'अल-हयात' को सब्सक्राइब किया। आरोपी शारिक, जो अभी भी फरार है, उसी ने दोनों आरोपी व्यक्तियों को बम बनाने की जानकारी दी थी।

अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित दो अन्य गिरफ्तार, आक्रोशित ग्रामीणों ने की तोड़फोड़

ऋषिकेश (आरएनएस)। लक्ष्मणझूला पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस वर्कआउट कर लिया है।

विगत 5 दिनों से गुमशुदा चल रही अंकिता भंडारी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने आरोपी रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके द्वारा अंकिता भंडारी को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और तत्पश्चात शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया, पुलिस द्वारा अंकिता भंडारी का शव खोजा जा रहा है।

अंकिता भंडारी हत्या मामले में लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोडफ़ोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की। ऐसे में मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को रोका है। खबर आ रही है कि ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें तोडफ़ोड़ की, इसके साथ ही आरोपियों की भी पिटाई की गई।

उल्लेखनीय है कि ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूं, पौड़ी गढ़वाल निवासी 19 वर्षीय अंकिता भण्डारी की गुमशुदगी के सम्बन्ध में राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में 6 दिन पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपरोक्त मुकदमा 22 सितम्बर को राजस्व पुलिस से थाना लक्ष्मणझूला पुलिस को स्थानान्तरित किया गया।

गौर हो कि रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता भंडारी मामले का खुलासा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसकी हत्या करके उसको चीला बैराजद में फेंक दिया गया था। बता दें कि पहले यह मामला राजस्व पुलिस के पास था लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके बाद इसे लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर के गया था, जिसके बाद मामले में लक्ष्मणझूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेटी की हत्या की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है अंकिता दवे शुद्ध हो गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों की मानें तो गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं। पुलिस इस मामले की जल्द खुलासा कर सकती है। अंकिता के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है।

आपको बता दें कि पुलकित आर्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बेटा बताया जा रहा है जो कि उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। लडक़ी के दोस्तों से हुई बातचीत में पता चला है कि रिजॉर्ट के मालिक व किसी कर्मचारी द्वारा लडक़ी को किसी स्पेशल गेस्ट को विशेष सेवा ऑफर करने की बात की गई। लडक़ी ने मना किया और अंकिता गायब हो गई। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंकिता हैवानों की हैवानियत का शिकार हुई है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट से कई खुलासे हुए हैं।

वनंतरा रिसोर्ट के कर्मचारी के अनुसार 18 सितंबर को शाम छ: बजे के आसपास एक घंटे तक अंकिता के रूम में था पुलकित, अंकिता रो रही थी और हेल्प-हेल्प चिल्ला रही थी, उसके बाद पुलकित, अंकित और सौरभ उसे दुपहिया में बैठा के ऋषिकेश की ओर ले गये और जब वापस आये तो अंकिता इनके साथ नहीं थी, चीला बैराज की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई है। अंकिता केस को सुलझाने में अहम कड़ी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मणझूला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अन्दर मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस वर्कआउट कर लिया गया है।

पौड़ी के डोभ श्रीकोट की लडक़ी के रहस्यमय तरीके से गायब होने के प्रकरण की रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी गई थी। जिसके बाद पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही थी। जनपद पौड़ी के गंगाभोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट से रहस्यमय परिस्थितियों में डोभ श्रीकोट की रहने वाली लडक़ी के लापता होने के मामले में अब जांच राजस्व से रेगुलर पुलिस को सौंप दी गयी है। जिसके बाद मामले में लक्ष्मणझूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर सीओ श्याम दत्त नौटियाल के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है।

वनंतरा रिजॉर्ट का मालिका पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विनोद आर्य का बेटा है। यह पुलकित आर्य लॉकडाउन में भी विवादों में आया था। जब उत्तर प्रदेश के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था। अमरमणि त्रिपाठी पर मधुमिता शुक्ला की हत्या का आरोप है। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी 14 साल तक जेल में रहा है।

भूस्खलन से उत्तरकाशी में फंसे राजस्थान के 400 तीर्थयात्री, सभी सुरक्षित

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के लगभग 400 तीर्थयात्री उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण फंस गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। अधिकारी के अनुसार, गंगोत्री धाम से दर्शन करके लौट रहे राजस्थान के करीब 400 तीर्थयात्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गबनानी के पास भूस्खलन के कारण फंस गए थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से बात कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया और उनके रहने-खाने की व्यवस्था भी करवाई। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट राज कुमार गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार रात राजस्थान के तीर्थयात्रियों के उत्तरकाशी में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सुष्मित विश्वास ने उत्तराखंड में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों-दीपम सेठ व डॉ. पी वी के प्रसाद से संपर्क कर घटना की जानकारी ली।

उत्तराखंड प्रशासन द्वारा बताई जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए भूस्खलन से उत्तरकाशी और हर्षिल (हलगू गार्ड एवं गबनानी) के बीच का सडक़ मार्ग बृहस्पतिवार शाम से ही अवरुद्ध है। राजस्थान समेत अन्य राज्य के कई नागरिक घटनास्थल पर फंसे हुए हैं। गुप्ता के अनुसार, अभी तक किसी भी तीर्थयात्री के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर और अन्य जगहों के करीब 400 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया गया है। गुप्ता के मुताबिक, तीर्थयात्रियों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था भी करवाई गई है। साथ ही उनसे बात कर स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही सहायता की जानकारी ली गई है।

उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती मामले में सभी नियुक्तियां निरस्त, सचिव निलंबित

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि 228 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का अनुमोदन सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जांच रिपोर्ट सौंपते समय जांच समिति के अध्यक्ष डीके कोटिया, एसएस रावत एवं अवनेंद्र सिंह नयाल मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति की है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं होना है। अनियमितताओं पर कार्यवाही के लिए हम सदैव कठोर रहेंगे। जांच समिति ने 20 दिन में अपनी जांच पूरी कर जांच रिपोर्ट सौपी। साथ ही विधानसभा के कर्मियों ने भी जांच में पूरा सहयोग दिया। ये जांच रिपोर्ट 214 पेज की है। जांच रिपोर्ट में 2016 और 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थी, उसमें अनियमितताएं हुई है, जांच समिति ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग थी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियुक्तियों के लिए न विज्ञप्ति निकली, न परीक्षा आयोजित हुई, सेवा योजना कार्यालय से भी डिटेल नही मांगी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है। इन नियुक्तियों को निरस्त किये जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

दरअसल ,देहरादून विधानसभा में बैक डोर से हुई भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप ही विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेते हुए 250 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।

वही सीएम धामी ने कहा कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विवादित भर्तियों को रद्द करना अत्यंत सराहनीय कदम है। राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु एक कारगर नीति बनाने पर भी कार्य कर रही है।

केरल लॉटरी के 25 करोड़ रुपये के जैकपॉट विजेता को अब अपनी किस्मत पर पछतावा

तिरुवनंतपुरम (आरएनएस)। केरल सरकार के मेगा ओणम रैफल में 25 करोड़ रुपये के प्रथम पुरस्कार के विजेता घोषित किए जाने के ठीक पांच दिन बाद, ऑटोरिक्शा चालक अनूप का कहना है कि उन्हें अपनी जीत का पछतावा है। मैंने मन की सारी शांति खो दी है और मैं अपने घर में भी नहीं रह सकता क्योंकि मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूं जो मुझे अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। अब मैं जगह बदलता रहता हूं क्योंकि मैंने मन की वह शांति खो दी है जिसका मैंने पुरस्कार जीतने तक आनंद लिया था।

अनूप अपनी पत्नी, बच्चे और मां के साथ मुख्य राजधानी शहर से करीब 12 किमी दूर श्रीकार्यम में रहता है।

जीत का टिकट अनूप ने यहां के एक स्थानीय एजेंट से अपने बच्चे की छोटी बचत पेटी को तोडक़र लिया था।

कर और अन्य बकाया राशि में कटौती के बाद, अनूप को पुरस्कार राशि के रूप में 15 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।

उसने कहा, अब मैं वास्तव में चाहता हूं, मुझे इसे नहीं जीतना चाहिए था। मैं, ज्यादातर लोगों की तरह, मुझे वास्तव में एक या दो दिन के लिए पूरे प्रचार के साथ जीतने में मजा आया। लेकिन अब यह एक खतरा बन गया है और मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। लोग मेरे पीछे हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं।

वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल लोगों को यह बताने के लिए कर रहे हैं कि उन्हें अभी पैसा नहीं मिला है।

अनूप ने कहा, मैंने तय नहीं किया है कि पैसे का क्या करना है और फिलहाल, मैं दो साल के लिए पूरा पैसा बैंक में रखूंगा। अब मैं वास्तव में चाहता हूं कि मेरे पास यह नहीं होना चाहिए, इसके बजाय, पुरस्कार की राशि कम होती तो बेहतर होता।

अनूप को अफसोस है कि अब वह दौर आ गया है, जहां उनके जाने-पहचाने लोग दुश्मन बन जाएंगे।

नाराज अनूप ने कहा, मेरे पड़ोसी नाराज हैं क्योंकि मेरे आस-पड़ोस में कई लोग बाहर से आते हैं। मास्क पहनने के बाद भी लोग मेरे चारों ओर भीड़ लगाते हैं कि मैं विजेता हूं। मेरे मन की शांति गायब हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी। येदियुरप्पा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से पहले पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। शिकायतकर्ता कार्यकर्ता टीजे अब्राहम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दर्ज शिकायतों से उत्पन्न मामलों में कानून में नवीनतम संशोधन के साथ पूर्व स्वीकृति आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया था।

दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेता की याचिका पर अब्राहम को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले की जांच करेगी। इस महीने की शुरूआत में एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि मंजूरी की अस्वीकृति येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएगी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। जुलाई 2021 में, एक विशेष अदालत ने अब्राहम की एक शिकायत पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत वैध मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्य और दो व्यापारियों सहित अन्य ने 2019-21 में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। अपने कार्यकाल के दौरान आवास बनाने का सरकारी ठेका देने के लिए 12 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।

छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभ करेगी हमर बेटी-हमर मान अभियान

- जिस समाज में बेटियां सुरक्षित और सशक्त हो, वह समाज निरंतर प्रगति करता है: भूपेश बघेल
- अभियान के तहत राज्य की महिला पुलिस अधिकारी -कर्मचारी स्कूल, कॉलेजों में जाकर बेटियों को देंगी कानूनी अधिकार और सुरक्षा के उपायों की जानकारी
- सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन और संवाद भी होगा। गल्र्स स्कूल, कॉलेजों तथा महिलाओं की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर लगाई जाएगी पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग
- हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिये एक मोबाइल नंबर होगा जारी
- महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचक करेंगी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिये एक अभिनव अभियान 'हमर बेटी-हमर मान' प्रारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए इस अभियान के संबंध में कहा है कि बेटियां हमारा मान सम्मान हैं, बेटियां प्रदेश के भविष्य उज्ज्वल की नींव है, जिस समाज में बेटियॉं सुरक्षित हों, सशक्त हो रही हों, वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।

'हमर बेटी-हमर मान' इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी ज़िलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेडख़ानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी और उनसे संवाद करेंगी।

अभियान के तहत गल्र्स स्कूल, कॉलेजों तथा महिलाओं, युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जायेगी। 'हमर बेटी हमर मान' हेल्पलाइन के लिये एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जायेगा, जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले किसी भी दुव्र्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा पायेंगी जिन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही करवायी जायेगी, साथ ही ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश हो जाये, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आई.जी. रेंज को होगा। महिला सुरक्षा हेतु लॉच किये जाने वाले एप्लिकेशन के संबंध में स्कूल कॉलेजों में जाकर बताया जायेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पूरी आशा है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दिशा में यह अभियान एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।